प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 मार्च, 2015**

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5013/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2013-14, दिनांक-18-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 18,46,00,00,000.00 (रूपये अट्ठारह अरब छियालीस करोड मात्र), जिसमें से कार्यालय ज्ञाप संख्या-पी-58/अड़तीस-9-15-81(पीएमजीएसवाई)/2013टी0सी0-।।, दिनांक-20-01-2015 द्वारा रू0 6000000000.00 (रूपये छः अरब मात्र) करोड मात्र की धनराशि समर्पित की जा चुकी है, के सापेक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के अन्तर्गत योजना के संचालन हेतु परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों को अवमुक्त की जाने वाली प्रशासनिक मद की धनराशि, जो भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2006-आर0सी0(पार्ट) (वाल्यू-1) (एफ0टी0 एस0नं0-339266), दिनांक-13-03-2015 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 7,16,00,000.00 (रूपये सात करोड सोलह लाख मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार ही धनराशि का व्यय किया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत बैंक खाता संख्या-10616665816 में तत्काल जमा किया जाय तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सडकों का निर्माण (के0-100/रा0-के0) -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 8 /पी- 276 (1)/अड़तीस-9-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in